

आधार से दस हजार चेहरे बेनकाब

राशन कार्ड से आधार लिंक होते ही दो जगह राशन लेने वाले उजागर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : एक ही नाम पर दो दुकानों से राशन उठाने वाले दस हजार चेहरों को आधार ने बेनकाब कर दिया है। ऐसे लोग न केवल गरीबों के हिस्से का राशन डकार रहे थे, बल्कि उन पात्रों का हक भी मार रहे थे, जिनका नाम कोटा फुल होने के चलते सूची में दर्ज नहीं हो पा रहा था। राशन कार्ड के आधार से लिंक होते ही बड़े पैमाने पर ऐसे नाम सामने आए जो दुकानों पर चल रहे थे। जिला आपूर्ति विभाग ने इन नामों को एक जगह से हटा दिया है। नाम कटने के बाद रिक्त हुई जगह पर नए पात्र लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकारी राशन की दुकान पर राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ियों, भ्रष्टाचार और जनता की दिक्कतों की दूर करते हुए उन्हें सहूलियत पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था का आनलाइन किया जा रहा है। सबसे पहले राशन की दुकानों को आनलाइन करने के बाद अन्त्योदय



सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- राशन कार्ड से आधार लिंक होते ही दो जगह राशन लेने वाले उजागर
- विभाग ने कार्ड से नाम कटने के साथ नए पात्रों को जोड़ना शुरू किया

और पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों की सूची को उससे जोड़ दिया गया। इसके बाद हर परिवार के राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करया गया। पहले सिर्फ मुखिया के आधार नंबर को राशन कार्ड से लिंक करया गया, लेकिन इससे ऐसे परिवारों

आपूर्ति विभाग ने शुरू की छंटनी

बड़े पैमाने पर ऐसे नाम उजागर होने के बाद आपूर्ति विभाग ने इन नामों को एक जगह से हटा दिया। हर परिवार से ऐसे नामों को कम होने के चलते यूनिट भी घट गई। नामों को हटाने के बाद रिक्त हुई जगहों पर नए नामों को शामिल करने का अभियान शुरू कर दिया गया है।

नए पात्रों को मिलेगा मौका : डीएसओ

जिला आपूर्ति अधिकारी आनंद सिंह ने बताया कि दस हजार से अधिक ऐसे नाम सामने आए हैं जो जगहों पर राशन कार्ड में थे। इन नामों को एक जगह से हटा दिया गया है। खानी हुई जगहों पर नए पात्रों को शामिल किया जा रहा है।

को दिक्कतें होने लगी जिसमें परिवार के मुखिया या तो बाहर रहते हैं या फिर राशन की दुकान तक जाकर हर महीने राशन लाने में अशक्त हैं। इस स्थिति को देखते हुए शासन ने राशन कार्ड में दर्ज सभी नामों के आधार नंबर को राशन कार्ड से लिंक करने का अभियान शुरू कर दिया। इसके पीछे मंशा यह थी कि यदि हर यूनिट का आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक रहेगा तो परिवार का कोई भी सदस्य दुकान पर जाकर राशन ले सकेगा। आधार नंबर को राशन कार्ड से लिंक करने के दौरान बड़े पैमाने पर पता चला कि एक ही व्यक्ति दो-दो जगह राशन कार्ड पर राशन ले रहे हैं। आधार लिंक होने के दौरान जनपद भर में तकरीबन 10-12 हजार ऐसे नाम सामने आए जो दो जगह दर्ज हैं।